



2026:AHC:38085

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 5687/2026

अंशु उर्फ चिंगा

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी

आवेदक की ओर से अधिवक्ता : अमित कुमार यादव, विमल कुमार पाण्डेय

विपक्षी की ओर से अधिवक्ता : सरकारी अधिवक्ता (जी.ए.), पवन कुमार पटेल, शशांक
यादव

न्यायालय संख्या - 65

माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी

1. सूची पुनरीक्षित। सूचक की ओर से दो अधिवक्ताओं के नाम मुद्रित होने के बावजूद कोई उपस्थित नहीं हुआ।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदक सहित तीन व्यक्तियों का नाम अंकित है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में पीड़िता ने आरोप लगाया है कि दि० 15.06.2025 की रात्रि लगभग 9:00 बजे जब वह अकेली अपने घर में थी तब आवेदक

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



उसके घर में प्रवेश कर गया और जबरन उसका बलात्कार कर दिया। उसने कथित घटना का वीडियो क्लिप एवं फोटोग्राफ भी बना लिया। इसके पश्चात् उक्त वीडियो क्लिप को वायरल करने की धमकी देकर उसने कई बार उसका बलात्कार किया। दि० 02.08.2025 को आवेदक ने पुनः जबरन बलात्कार किया तथा दि० 12.08.2025 को प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अन्य दो अभियुक्तों एवं एक अज्ञात अभियुक्त ने भी उसका बलात्कार किया। आगे यह भी कहा गया कि यद्यपि पीड़िता ने धारा 180 एवं 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत अभिलिखित बयानों में प्रथम सूचना रिपोर्ट के कथानक को दोहराया है, किन्तु अभियोजन पक्ष के अनुसार प्रथम घटना दि० 15.06.2025 को तथा अन्तिम घटना दि० 12.08.2025 को घटित हुई, परन्तु उसने इससे पूर्व कभी कोई शिकायत नहीं की। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया कि इस न्यायालय ने नामजद अभियुक्त मुलायम सिंह उर्फ भिक्का, जिस पर भी बलात्कार का आरोप है, को जमानत प्रदान करते समय यह टिप्पणी की थी कि मुख्य आरोप वर्तमान आवेदक पर है तथा उक्त सह-अभियुक्त के प्रकरण को वर्तमान आवेदक से पृथक रखा गया था। यह भी प्रस्तुत किया गया कि चूँकि कोई आपत्तिजनक वीडियो न तो बरामद हुआ और न ही वायरल हुआ (क्योंकि आवेदक को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोजित नहीं किया गया है) तथा अन्य दो अभियुक्त मुलायम सिंह उर्फ भिक्का एवं सौरभ @ सौरभ सिंह, जिन पर भी बलात्कार का आरोप था, को इस न्यायालय द्वारा पूर्व में ही जमानत प्रदान की जा चुकी है, अतः आवेदक को भी जमानत प्रदान की जाय। आवेदक के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की मिथ्यता प्रदर्शित करने हेतु अनेक अन्य तर्क भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये। उन परिस्थितियों का भी उल्लेख किया गया जो अधिवक्ता के अनुसार अभियुक्त के मिथ्या फंसाव का कारण बनीं। आवेदक की ओर से यह आश्वासन दिया गया है कि वह कानून की प्रक्रिया में सहयोग करने के लिए तैयार है और जब भी आवश्यकता होगी वह ईमानदारी से अदालत के समक्ष खुद को उपलब्ध करायेगा और उन सभी शर्तों को स्वीकार करने के लिए भी तैयार है जो न्यायालय उस पर अधिरोपित करेगी। आवेदक निर्दोष है तथा उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है एवं वह इस प्रकरण में दि० 25.08.2025 से कारागार में निरुद्ध है, इसलिए आवेदक को जमानत पर छोड़ दिया जाय।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों का प्रबल विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि विचारण-पूर्व अवस्था में आवेदक की निर्दोषिता का निर्धारण नहीं किया जा सकता, अतः वह किसी भी अनुग्रह का पात्र नहीं है, इसलिए आवेदक को जमानत पर न छोड़ा जाये।

5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों के परिप्रेक्ष्य प्रश्नगत प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध सारवान तथ्यों एवं परिस्थितियों का समग्र रूप से अवलोकन करने के बाद, आरोपों की प्रकृति, अपराध की गम्भीरता तथा इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि कोई आपत्तिजनक वीडियो न तो बरामद हुआ और न ही वायरल हुआ तथा समान आरोपों एवं साक्ष्यों वाले अन्य दो अभियुक्तों मुलायम सिंह उर्फ भिक्का एवं सौरभ @ सौरभ सिंह को पूर्व में ही जमानत प्रदान की जा चुकी है, वाद के गुण-दोष पर बिना कोई टिप्पणी किये मेरी राय में आवेदक को जमानत पर मुक्त करने का उपयुक्त आधार है।

6. अतः वाद के गुण-दोष पर बिना कोई टिप्पणी किए हुए आवेदक अंशु उर्फ चिंगा को मु.अ.सं० 152/2025, अन्तर्गत धारा 70(1), 115(2), 351(3), 333 बी.एन.एस., थाना- मत्सेना, जिला- फ़िरोज़ाबाद में संबंधित न्यायालय की सन्तुष्टि पर व्यक्तिगत बंध-पत्र एवं समतुल्य धनराशि के दो स्थानीय प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर छोड़ दिया जाय।

- i) आवेदक विवेचना या परीक्षण के दौरान अभियोजन साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- ii) आवेदक अभियोजन साक्षियों व पीड़िता/शिकायतकर्ता को डरायेगा/धमकायेगा नहीं।
- iii) आवेदक न्यायालय के आदेशों का पालन करेगा, वह परीक्षण के दौरान बिना कोई अनावश्यक स्थगन लिए नियत तिथि पर न्यायालय में उपस्थित होगा तथा परीक्षण में ईमानदारी से सहयोग करेगा।
- iv) आवेदक जमानत पर रिहा होने के बाद ऐसा कोई अपराध कारित नहीं करेगा जो उस अपराध के समान हो जिसके लिए आवेदक अभियुक्त है अथवा जिसके किये जाने का उस पर संदेह है।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी क़ानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



v) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति या पुलिस अधिकारियों को कोई प्रलोभन या धमकी नहीं देगा न ही उनसे कोई वायदा करेगा, जिसके कारण उन्हें न्यायालय में तथ्यों को उजागर करने से विरत रहना पड़े अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ हो।

7. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, परीक्षण न्यायालय आवेदक की जमानत नियमानुसार रद्द करने को स्वतंत्र है।

(न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी)

दिनांक : 18 फरवरी, 2026

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"